प्रेस विज्ञप्ति

03.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मानव तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भरतकुमार रामभाई पटेल उर्फ बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया है। भरतकुमार रामभाई पटेल को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), मिर्जापुरा कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष हाज़िर किया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है।

ईडी ने 2015 से अवैध रूप से भारतीय नागरिकों को विदेश भेजने के आरोप में भरतकुमार रामभाई पटेल और अन्य के खिलाफ शोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि भरतकुमार रामभाई पटेल फर्जी या जाली दस्तावेजों के आधार पर इच्छुक भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से विदेश भेजने में लिप्त थे। वे यात्रियों के नाम पर नकली या जाली पासपोर्ट बनवाकर उन्हें असली बताकर विभिन्न देशों के वीजा दिलवाते थे। इस उद्देश्य के लिए वे एक यात्री से 60 से 75 लाख रुपये, एक जोड़े (पति और पत्नी) से 1 से 1.25 करोड़ रुपये और विदेश जाने के इच्छुक यात्रियों के साथ बच्चों के होने पर 1.25 से 1.75 करोड़ रुपये वसूलते थे।

भारत में, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस मामले में अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) कम से कम 7 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।